संविदा श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति)
अधिनियम, 1970
[क्र० 37 सन् 1970]

अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं

क्रमांक 3269-12913 सोलह- कांट्रक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एवं श्रम विभाग के आदेश क्रमांक 1127-1367 य-सोलह, दिनांक 17 फरवरी, 1976 को निष्प्रभावी करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के अध्याय चार के प्रयोजनों के लिये अनुज्ञापन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है और यह निर्देश देता है कि वे उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अनुज्ञापन अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में की ततथानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर करेंगे-

अनुसूची

अ०क्र०	व्यक्ति	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	सहायक श्रम आयुक्त, इंदौर	इंदौर, देवास, धार एवं झाबुआ के राजस्व जिले ।
2.	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	पूर्वी निमाड़ एवं पश्चिमी निमाड़ के राजस्व जिले ।
3.	सहायक श्रम आयुक्त, उज्जैन	उज्जैन एवं शाजापुर के राजस्व जिले ।
4.	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	रतलाम एवं मन्दसौर के राजस्व जिले ।
5.	सहायक श्रम आयुक्त ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना एवं दतिया के राजस्व जिले ।
6.	सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल	भोपाल, सीहौर, रायसेन, होशंगाबाद, विदिशा, बैतूल एवं राजगढ़ के राजस्व जिले ।
7.	सहायक श्रम आयुक्त, जबलपुर	जबलपुर एवं पाटन की राजस्व तहसीलें, बालाधाट, छिन्दवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर एवं मण्डला के राजस्व जिले ।
8.	श्रम पदाधिकारी, कटनी	मुरवारा एवं सीहौर के राजस्व जिले ।
9.	सहायक श्रम आयुक्त, सागर	सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं पन्ना के राजस्व जिले ।
10.	सहायक श्रम आयुक्त, सतना	सतना, रीवां सीधी एवं शहडोल के राजस्व जिले

		।
11.	सहायक श्रम आयुक्त, रायपुर	रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर के राजस्व जिले ।
12.	श्रम पदाधिकारी, राजनांदगावं	राजनांदगाँव का राजस्व जिला |
13.	सहायक श्रम आयुक्त, बिलासपुर	बिलासपुर, राजगढ़ एवं सरगुजा के राजस्व जिले |

[यह अधिसूचना मध्य प्रदेश राजपव भाग 1 दिनांक 17-2-1978 के पृष्ठ 207-208 पर प्रकाशित हुई ।